[2021] 2 एस. सी. आर. 1000

फेकरे आलम

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य (2021 की आपराधिक अपील संख्या 319)

15 मार्च, 2021

[संजय किशन कौल और आर**.** सुभाष रेड्डी**,** जे**.** जे।**]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.167-डिफ़ॉल्ट जमानत-आई. पी. सी., शस्त्र अधिनियम और यू. ए. पी. ए. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी के खिलाफ एफ. आई. आर.-अपीलार्थी, यदि डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार है।167 (2) मामले के तथ्यों में दंड प्रक्रिया संहिता-आयोजितःशीर्षक -s.167 सी. आर. पी. सी. समय अवधि के लिए प्रावधान करता है जिसके भीतर अपराधों की प्रकृति के आधार पर जांच पूरी की जानी चाहिए-चूंकि, स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए समय अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसमें चूक करने पर अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार होगा, जो एक मूल्यवान अधिकार है-तथ्यों पर, अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी।यू. ए. पी. ए. अधिनियम की धारा 18-यू. ए. पी. ए. अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर करने के लिए 180 दिनों की अवधि हालांकि बीत चुकी थी-राज्य इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता है कि एक आरोप पत्र है और यू. ए. पी. ए. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए पूरक आरोप पत्र दायर करने की मांग करके समय अवधि बढ़ाने के लिए पूरक आरोप पत्र का उपयोग किया जाता है।167 सी. आर. पी. सी. जिसके बाद डिफ़ॉल्ट जमानत स्वीकार्य होगी।अर्थात्, 180 दिनों की अवधि-एस के पहले परंतुक के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत।167 (2) सी. आर. पी. सी. एक मौलिक अधिकार है और न कि केवल एक वैधानिक अधिकार है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है-इस प्रकार एक आरोपी व्यक्ति को पहले परंतुक की शर्तों के बाद जमानत पर रिहा होने का मौलिक अधिकार दिया जाता है।167 (2) सी. आर. पी. सी. को पूरा किया जाता है-वास्तव में चूक जमानत देने के लिए एक मौखिक आवेदन पर्याप्त होगा-यू. ए. पी. ए. अधिनियम के परिणाम सजा में कठोर हैं और उस संदर्भ में, यह केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21-आई. पी. सी.-शस्त्र

अधिनियम-गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967-भारत का संविधान, 1950-के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा है।

बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2020) 10** एस**.** सी**.** सी**. 616** और विनय त्यागी बनाम इरशाद अली @दीपक और अन्य। **(2013)5** एससीसी **762:[2012] 13** एस**.** सी**.** आर**. 1005-**पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

(2020) 10 एस**.** सी**.** सी**. 616** पैरा **6**

[2012] 13 एस**.** सी**.** आर**. 1005** पैरा **9** पर निर्भर था

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2021 की आपराधिक अपील No.319

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 03.11.2020 से, 2019 के जमानत No.12269 में लखनऊ की लखनऊ पीठ।

एस. वसीम ए. कादरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मो. अली, मोहित मिश्रा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

वी. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, आदर्श उपाध्याय, सुश्री मयूरी रघुवंशी, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गयाः

आदेश

1. अनुमति दे दी गई।

2. अपीलार्थी-अभियुक्त फाखरी आलम के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 420,467,468,471 और 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 2 और यू. ए. पी. ए. अधिनियम, 1967 की धारा 18 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

3. अपीलार्थी को 08.03.2017 पर गिरफ्तार किया गया था और 03.06.2017 पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पुलिस को कुल 180 दिनों का समय दिया।पुलिस ने यू. ए. पी. ए. अधिनियम को छोड़कर उपरोक्त प्रावधानों के तहत 04.09.2017 पर आरोप पत्र दायर किया क्योंकि राज्य सरकार से अभियोजन की मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य था जो आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख तक नहीं आई थी।इस प्रकार, आरोप पत्र में कहा गया हैः

> "कि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं और अभियुक्त फखरी आलम की रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है।इसलिए, अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 420/467/468 471/120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/30 के तहत आरोप पत्र इस माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया जा रहा है।गवाहों को बुलाने और मामले की सुनवाई शुरू करने का अनुरोध किया जाता है।अभियोजन की मंजूरी प्राप्त करने के खिलाफ धारा 18 यू. ए. (पी) अधिनियम के तहत एक अलग आरोप पत्र दायर किया जाएगा।"

4. इसके बाद, 05.10.2017 पर राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के बाद दूसरा आरोप पत्र दायर किया गया।हम यू. ए. पी. ए. अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किए जाने से दो दिन पहले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "आई. डी. 1" के रूप में संदर्भित) की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर एक आवेदन पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा दिनांक आई. डी. 3 पर पारित आदेश से चिंतित हैं। अपीलार्थी द्वारा स्थापित मामला यह था कि आरोप पत्र 180 दिनों के बाद दायर किया गया था और इस प्रकार वह डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार था।हालाँकि, अदालत ने राय दी कि जिसे दूसरा आरोप पत्र कहा गया था वह वास्तव में एक पूरक आरोप पत्र था और इस प्रकार डिफ़ॉल्ट जमानत स्वीकार्य नहीं होगी।उपरोक्त दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 03.11.2020 के विवादित आदेश के संदर्भ में इसकी अभेद्यता दी गई थी, जिस पर हमारे समक्ष गंभीर तर्क प्रस्तुत किया गया है।

5. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारे सामने दोहरी दलीलें प्रस्तुत की हैंः

5. 1.सबसे पहले, यह उनका निवेदन है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ यू. ए. पी. ए. अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में अधिकार क्षेत्र के रूप में आरोप पत्र दायर करने के लिए

180 दिनों की अनुमति नहीं दे सकता था, जो मामले एन. आई. ए. को सौंपे गए हैं, केवल विशेष अदालतों में निहित हैं और बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस अदालत के फैसले को देखते हुए यह पहलू अब एकीकृत नहीं था।

2. .दूसरा, हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया था कि 180 दिनों की अवधि के भीतर भी, यू. ए. पी. ए. अधिनियम के तहत आरोप पत्र/पूरक आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था, जिसने अपीलार्थी को 03.10.2017 पर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन दायर करने का कारण दिया और 211 दिनों के अंतराल के बाद 05.10.2017 पर केवल दो दिन बाद ही यह आरोप पत्र दायर किया गया था।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बिक्रमजीत सिंह के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय पंजाब राज्य में प्रचलित स्थिति में था, लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश राज्य में सक्षम न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का था और अब लगभग एक महीने पहले ही विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किया गया था।

7. दूसरे पहलू पर, यह आग्रह किया जाता है कि जिसे दूसरा आरोप पत्र कहा जाता है, वह वास्तव में एक पूरक आरोप पत्र है क्योंकि पूरक आरोप पत्रों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

दायर किया जाएगा लेकिन विनय त्यागी बनाम इरशाद अली @दीपक और अन्य के मामले में इस अदालत के फैसले को देखते हुए केवल एक आरोप पत्र होगा।

8.हमने उपरोक्त दलीलों की जांच की है।

9. जहां तक पहले पहलू का संबंध है, यह कहना पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थिति अलग है और ऐसा नहीं है कि कोई अधिसूचित विशेष अदालत अस्तित्व में थी।

10. दूसरे पहलू पर हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि विधानमंडल द्वारा जो परिकल्पना की गई थी वह यह थी कि जांच 24 घंटे में पूरी की जानी चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह कभी भी संभव नहीं पाया गया।यह इन परिस्थितियों में है कि Cr.P.C की धारा 167 ने उस समय अवधि के लिए प्रावधान किया है जिसके भीतर अपराधों की प्रकृति के आधार पर जांच पूरी की जानी चाहिए।चूँकि स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए समय अवधि निर्दिष्ट की गई थी जिसमें अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार होगा, जो एक मूल्यवान अधिकार है।

11. यदि हम उस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मामले के परिदृश्य को देखें, तो मूल रूप से 04.09.2017 पर दायर कानून के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र 90 दिनों के भीतर दायर किया जाना आवश्यक था, लेकिन वास्तव में 180 दिनों के भीतर दायर किया गया था।यह यू. ए. पी. ए. अधिनियम की धारा 18 के तहत आरोप के आधार पर था। हालाँकि, यू. ए. पी. ए. अधिनियम के तहत 180 दिनों के भीतर भी कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था, लेकिन डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन दायर करने के बाद, इसे 211 दिनों के बाद दायर किया गया था।इस प्रकार, निस्संदेह यू. ए. पी. ए. अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर करने के लिए 180 दिनों की अवधि बीत चुकी थी।हमें नहीं लगता कि राज्य इस तथ्य का लाभ उठा सकता है कि एक मामले में एक आरोप पत्र है और पूरक आरोप पत्र का उपयोग इस तरह से समय अवधि बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसमें यू. ए. पी. ए. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए पूरक आरोप पत्र दायर करने की मांग की जाती है।यानी 180 दिनों की अवधि।उस अवधि की अवधि समाप्त होने और उन अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर नहीं किए जाने (यद्यपि एक पूरक आरोप पत्र) के कारण, हमारा विचार है कि अपीलार्थी उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार होगा।

12. हमें केवल उस बात पर जोर देने की आवश्यकता है जो बिक्रमजीत सिंह मामले (ऊपर) में पहले ही देखी जा चुकी है कि आई. डी. 1 की धारा 167 (2) के पहले प्रावधान के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत एक मौलिक अधिकार है और न कि केवल एक वैधानिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है।इस प्रकार अभियुक्त व्यक्ति को रिहा करने का मौलिक अधिकार दिया जाता है।Cr.P.C की धारा 167 (2) के पहले परंतुक की शर्तों को पूरा करने के बाद जमानत पर।

13. वास्तव में इस न्यायालय के बहुमत निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए एक मौखिक आवेदन पर्याप्त होगा [देखें। राकेश कुमार पॉल बनाम असम राज्य]3. यू. ए. पी. ए. अधिनियम के परिणाम सजा में कठोर हैं और उस संदर्भ में, इसे केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं माना गया है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा माना गया है।

14. इस प्रकार हमारा विचार है कि विवादित आदेशों को अपास्त किया जाता है।अपीलार्थी मुकदमे के न्यायालय की संतुष्टि के लिए नियमों और शर्तों पर मामले के दिए गए तथ्यों में सीआर पी सी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार है।

तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है और पक्षकारों को अपना - अपना वाद ब्यय स्वयं वहन करेंगे।

बिभूति भूषण बोस

अपील स्वीकार की गई।